जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 45 संख्याः 262 प्रभात बीकानेर, बुधवार 17 अप्रेल, 2024 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

संरक्षणविदों की एक टीम ने, युनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ के नेतृत्व में, स्थानीय लोगों की जानकारी की मदद से कैन्टॉर्स जायंट सॉफ्टशैल टर्टल (पैलोचेलीस कैन्टोरी) के प्रजनन स्थल को खोजने में सफलता पाई है। दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एशिया की नदियों में रहने वाले ये फ्रैशवॉटर टर्टल, इन्टरनैशनल यूनियन फॉर कन्ज़र्वेशन ऑफ नेचर (आई.यू.सी.एन.) की रैड लिस्ट में गंभीर रुप से संकटग्रस्त जानवरों की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, जिनकी संख्या गिरती जा रही है। लेकिन अब टीम ने दक्षिण भारत में केरल की चंद्रगिरी नदी के तट पर इस दुर्लभ टर्टल को खोज निकाला है। युनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ के एक प्रवक्ता ने कहा, ''दुर्लभता और रहस्यमय स्वभाव के लिए जानी जाने वाली इस प्रजाति ने संरक्षणविदों को लंबे समय से बहुत आकर्षित किया है। आवास विनाश के कारण ये जीव अपने अधिकतर परिवेश से गायब हो गए हैं। स्थानीय लोग मांस के लिए इनका बहुत अधिक शिकार करते हैं और मछली के लिए डाले गए जाल में फंसने पर मछुआरे इन्हें मार डालते हैं।'' टीम का कहना है कि, स्थानीय गांववालों से बात करके टीम ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इनकी साइटिंग के प्रमाण इकट्ठे किए और संरक्षण कार्य में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया। इसके परिणामस्वरुप पहली बार प्रजनन कर रही मादा टर्टल के बारे में लिखित प्रमाण तैयार किए गए तथा उन घोंसलों से अंडों को बचाया जा सका जहाँ पानी भर गया था। बाद में टर्टल शिशुओं को नदी में छोड़ दिया गया। ''ऑरिक्स'' जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन की लेखक डा. फ्रांसुआज़ कबादा ब्लांको ने कहा, ''भारत की जैवविविधता की पृष्ठभूमि में, सालों तक कैन्टोर टर्टल की मौजूदगी एक फुसफुसाहट के समान रही है, इनकी साइटिंग इतनी दुर्लभ है कि, लगता है मानो भूतकाल के किसी जीव की बात हो रही है। इनको ढूंढने के पारंपरिक तरीके फेल होने के बाद टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत शुरु की। इन लोगों ने ना केवल ऐतिहासिक साइटिंग्स की कहानियाँ बताईं बल्कि वर्तमान में ये कहाँ हो सकते हैं इसके बारे में सुराग दिए और जालों में फंसे टर्टल्स को वापस नदी में छोड़ने में मदद की।

हरियाणा में कांग्रेस की आपसी लड़ाई सोनिया गांधी के दरबार में पहुंची

लड़ाई एस.आर.के. (शैलजा, सुरजेवाला व किरण चौधरी) व हूडा के बीच है

- **मुद्दा है, किरण चौधरी की पुत्री श्रुति चौधरी को भिवानी से पार्टी का टिकट नहीं मिलना। वे भिवानी से सांसद रह चुकी हैं तथा बंसीलाल परिवार की महिला हैं और बंसीवाल का परिवार भिवानी को अपनी पुश्तैनी सीट मानता है।**
- **टिकट नहीं मिलने का कारण है, राहुल गांधी के उम्मीदवार, कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन की राज्यसभा चुनाव में हार। इस हार के लिये किरण चौधरी को जिम्मेवार माना जाता है तथा किरण चौधरी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की तलवार लटकी हुई है, हालांकि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।**
- **पर, वर्तमान परिस्थिति में ए.आई.सी. सी. के दोनों महासचिव, सुरजेवाला व शैलजा, किरण चौधरी के साथ गुट बनाकर खड़ी हैं कि, भिवानी का टिकट श्रुति चौधरी को ही दिया जाये। गुट ने भारी हिम्मत दिखाकर हूडा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, हरियाणा की राजनीति में हूडा की मोनोपोली तोड़ने के लिये।**
- **सैन्ट्रल इलैक्शन कमेटी भिवानी की सीट पर उत्पन्न गतिरोध तोड़ने में अक्षम रही है, अतः मामला सुलझाने का काम सोनिया गांधी पर ही छोड़ा गया है और आशा है कि, सोनिया गांधी शीघ्र निर्णय लेंगी, क्योंकि हरियाणा में मतदान 25 मई को है।**

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रेल। हरियाणा कांग्रेस इकाई की भारी अन्तर्कलह सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच गई है। अन्तर्कलह हूडा बनाम एस.आर.के. के बीच है। एस.आर.के. यानि सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रेल को होने वाला है पर हरियाणा में अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ही तय नहीं किए हैं।

किरण चौधरी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात और शिकायत की कि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया जा रहा है। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी विख्यात चौधरी बंसीलाल परिवार से है।

मुद्दा यहां राज्यसभा चुनाव में अजय माकन की हार का है जिसके लिए किरण चौधरी पर आरोप लगाया जा रहा है कि हो माकन की हार की जिम्मेवार है जबकि माकन राहुल गांधी के प्रत्याशी थे। तब किरण पर कोई एक्शन नहीं हुआ था और यह सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकता है।

दो ए.आई.सी.सी. महासचिव सुरजेवाला और सैलजा चाहते हैं कि भिवानी सीट बंसीलाल के परिवार को मिलनी चाहिए। दोनों किरण चौधरी के साथ हैं और तीनों ने हूडा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि वे मानते हैं कि हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से हूडा के कंट्रोल में है।

हरियाणा में दस लोकसभा सीटें है, इनमें से एक गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को मिली है। बची 9 सीटों पर बात अटकी है क्योंकि प्रत्याशी के नाम पर सहमति नहीं बनी है।

मामला अब सी.ई.सी. के हाथ में नहीं है अब मामला सोनिया के पास है। समझा जाता है कि वे ही इस पर फैसला करेंगी।

सुप्रीम कोर्ट बैलट पेपर से मतदान के पक्ष में नज़र नहीं आया

सुप्रीम कोर्ट ने, एन.जी.ओ. के वकील प्रशांत भूषण से कहा, मतदान अगर बैलेट पेपर से कराया गया तो, मानव हस्तक्षेप बढ़ेगा मतगणना की प्रक्रिया में, जिसका अनुभव क्या रहा है, आप भी जानते हैं

- **प्रशांत भूषण ने फिर जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि, जर्मनी ने ई.वी.एम. से मतदान की प्रक्रिया छोड़ कर फिर बैलेट पेपर गिनने की प्रक्रिया अपना ली है।**
- **पर न्यायाधीश खन्ना व न्यायाधीश दीपांकर दत्ता प्रशांत भूषण के तर्क से सहमत नहीं हुए और कहा, जर्मनी में कुल पांच-छः करोड़ वोटर हैं, पर, हिन्दुस्तान में 97 करोड़। अतः हाथ से मतगणना की प्रक्रिया के बारे में नहीं सोचना चाहिये। हमें किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, सिस्टम बदलना कोई अच्छा समाधान नहीं है।**
- **जजों ने सरकारी वकील से यह जरूर पूछा कि, अगर मतगणना के दौरान कोई धांधली सामने आयी तो क्या कोई सजा देने का प्रावधान है? अगर नहीं है तो, सख्त सजा का प्रावधान करिये, इससे धांधली करने पर रोक लगेगी।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह वोट डालने के लिए बैलट पेपर के विकल्प पर जाने के पक्ष में नहीं है, इसको लेकर कहा कि इस कार्य में मानवीय हस्तक्षेप को बढ़ाने से समस्याएं ही उत्पन्न होंगी अतः प्रचलित व्यवस्था में भरोसा ओर विश्वास बनाए रखने का आव्हान किया और कहा कि इसे नीचे नहीं गिरने दें। बुधवार को रामनवमी का अवकाश होने के कारण अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरूवार को होगी।

एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक एन.जी.ओ. की तरफ से उपस्थित वकील प्रशांत भूषण ने मतपत्रों के द्वारा वोट डालने की कवायद को पुनः शुरू करने की वकालत की, न्यायाधीश संजीव खन्ना की बैंच जिसमें न्यायाधीश दिपांकर दत्ता भी थे, ने कहा, ''हमें 60 वर्षों का अनुभव है। हम सब जानते हैं कि जब मतपत्रों से वोट डाले जाते थे तब क्या होता था, आप भूल सकते हैं परन्तु हम उन घटनाओं को नहीं भूल सकते।''

जब भूषण ने बूथों पर कब्जे का जिक्र किया तो न्यायाधीश खन्ना ने कहा ''हम बूथों पर कब्जे की बात नहीं कर रहे, इसमें कुछ और भी बातें हैं.....मानवीय हस्तक्षेप के प्रयोग से समस्याएं ही उत्पन्न होंगी।''

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि, ''सामान्यतया मानवीय हस्तक्षेप के उपयोग से समस्याएं ही खड़ी होती है, मानव में कमजोरियां हो सकती है जिसमें पक्षपात भी शामिल है। मशीन में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुरजेवाला पर प्रतिबंध

- **हेमा मालिनी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला पर दो दिन प्रचार नहीं करने का प्रतिबंध लगाया है।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रैल। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पर कार्यवाही करते हुए उनके चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे की पाबंदी लगाई है, क्योंकि सुरजेवाला ने 31 मार्च को हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ लिंगभेदी, अश्लील व अनैतिक टिप्पणी की थी।

आयोग ने उनकी इस टिप्पणी पर ऐतराज जताया था, सांसदों/विधायकों को जनता की आवाज़ उठाने के लिए निर्वाचित किया जाता है न कि हेमा मालिनी जैसे व्यक्ति को चाटने के लिए।

एक आदेश में आयोग के प्रधान सचिव नरेन्द्र बुटोलिया ने सुरजेवाला पर 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से अगले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आयरलैण्ड में भारत के राजदूत को हटायें'

कांग्रेस ने सरकार के समक्ष यह डिमाण्ड रखी। कांग्रेस का आरोप है कि, राजदूत भाजपा के पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं

- **राजदूत ने आइरिश टाइम्स में छपे एक लेख के जवाब में, अखबार को जो चिट्ठी लिखी, उसमें प्र.मंत्री मोदी के बारे में लिखा कि, मोदी भारत की जनता में अति लोकप्रिय हैं, केवल भारत में ही नहीं, विश्व में।**
- **''मोदी का चरित्र बेदाग है। उन्होंने अपनी ईमानदारी व लीडरशिप से सबको साथ लेने की प्रक्रिया का पूर्णता अनुसरण किया है।''**
- **'देश में आजादी के बाद तीस साल तक वंशवादी राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार ने गहरी जड़ें जमा ली थी, उसको दूर करने के लिये जो संघर्ष मोदी कर रहे हैं, उससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है।'**

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रेल। आयरलैंड में भारत के राजदूत अखिलेश मिश्रा द्वारा हाल ही में विपक्ष पर की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों से नाराज़ कांग्रेस ने मंगलवार को उन्हें जमकर लताड़ा और कहा कि, राजदूत किसी ''पार्टी एपरैट्चिक'' (किसी राजनैतिक पार्टी के निष्ठावान सदस्य की तरह) की तरह बोल रहे थे और पार्टी ने राजदूत को ''अमर्यादित व्यवहार'' के लिए बर्खास्त कर देने की मांग की।

''आईरिश टाइम्स'' के एक संपादकीय लेख के प्रत्युत्तर में उन्होंने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ''अपने बेदाग चरित्र, सच्चाई और अभिवन, समावेशी शासन और सतत विकास का कुशल नेतृत्व करने के कारण भारत ही नहीं समूचे विश्व में अभूतपूर्व लोकप्रियता और विशिष्ट स्थान प्राप्त है।'' मिश्रा ने आगे लिखा, ''भ्रष्टाचारी व्यवस्था (जो कि 55 वर्ष के शासन, जिसमें पहले 30 वर्ष, भारत की एक वंशवादी पार्टी के कारण उत्पन्न हुई) के विरूद्ध लड़ाई, मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का मुख्य कारक है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राजदूत की टिप्पणियों की निन्दा करते हुए कहा, ''भारतीय सरकार का बचाव करना एक बात है और उसकी अपेक्षा भी की जाती है, लेकिन एक पार्टी एपरैट्चिक की भांति विपक्ष पर खुलेआम हमला करना, एक राजदूत से अपेक्षित नहीं है, भले ही वह एक राजनीतिक नियुक्ति ही क्यों न हो।'' इसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर रमेश ने कहा, ''मैं अपनी गलती मानता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लखनऊ के आदित्य ने यू.पी.एस.सी. मे टॉप किया

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (वार्ता)। यूनियन पब्लिक सर्विसेज़ कमीशन (यू.पी.एस.सी.) की वर्ष 2023 की भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव को पहला स्थान हासिल हुआ है।

आयोग ने मंगलवार को परीक्षा परिणाम घोषित किये, जिसमें दूसरा स्थान अनिमेष प्रधान और तीसरा स्थान दोनुरू अनन्या रेड्डी को मिला।

- **सिविल सेवा एग्जाम-2023 में दूसरा स्थान अनिमेष प्रधान और तीसरा स्थान दोनुरू अनन्या रेड्डी को मिला है।**

आयोग की ओर से जारी 1016 सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गयी है, इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, केन्द्रीय सेवाओं और समूह क और ख की सेवाओं के लिये चयनित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार की अर्ज़ी ठुकरायी

हाई कोर्ट ने कहा, रामनवमी के अवसर पर, शोभायात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगाने के लिये ममता बनर्जी सरकार की अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता

- **न्यायालय ने तर्क दिया कि, जनता का अधिकार है, अपनी धार्मिक मान्यताओं व सोच के अनुसार, धार्मिक समारोह आदि आयोजन करने का।**
- **रामनवमी पर शोभायात्रा निकलें या ना निकालें, इस मुद्दे पर भाजपा व सरकार के बीच भारी मतभेद चल रहा था तथा नाक की लड़ाई जैसी बात हो गयी थी।**
- **भाजपा ने 17 शोभायात्रा निकालने का कार्यक्रम तय किया था। हाई कोर्ट ने इन यात्राओं की अनुमति तो दे दी, पर, साथ में पाबंदी लगायी की शोभायात्रा में 200 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिये।**

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रेल। संसदीय चुनावों में अब चन्द दिन ही शेष हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक और झटका दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका को अस्वीकार कर दिया है कि हावड़ा और कोलकाता के उपनगरों में कल निकलने वाले रामनवमी के की शोभायात्राओं को प्रतिबंधित कर दिया जाए।

रामनवमी की शोभायात्राएं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) और भाजपा के बीच एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि लोगों को अपने-अपने धार्मिक विश्वासों का अभ्यास करने और उनका पालन का अधिकार है, कोर्ट ने हालांकि रामनवमी पर निकाली जाने वाली शोभायात्राओं को लेकर कुछ शर्तें लागू की है।

राज्य में ऐसी 17 शोभायात्राएं निकाले जाने की योजना है और विभिन्न संगठन इसका आयोजन कर रहे हैं। इन संगठनों में विश्व हिन्दू परिषद और अंजनि पुत्र सेना शामिल है। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं है तो वहाँ केन्द्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाना चाहिए।

बंगाल के उत्तरी जिलों का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सार्वजनिक रैलियों में इस मुद्दे का जिक्र किया, जबकि ममता बनर्जी ने भी मोदी के सभास्थल के समीप ही सभा की और पार्टी की आलोचना की।

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में रामनवमी उत्सवों को नाकाम करने का षड़यंत्र रच रही है। पिछले वर्ष हावड़ा में आयोजित रामनवमी की कुछ शोभायात्राओं पर मुस्लिमों द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद व्यापक हिंसा हुई थी। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने नैशनल इन्वैस्टिगेटिव एजेंसी (एन.आई.ए.) को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह हिंसा की जाँच कर अपनी रिपोर्ट उसे सौंपे।

भाजपा और तृणमूल कांग्रेस, दोनों ही इस बार अल्पसंख्यक वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ रहा है, लेकिन अब लगता है कि यह वोट बैंक थोड़ा विभाजित हो गया है। ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा सार्वजनिक धन में घपलेबाजी की लगातार खबरों ने तृणमूल के अल्पसंख्या समर्थन में जमीनी स्तर पर एक विभाजन निर्मित कर दिया है। अल्पसंख्यक अब तृणमूल और विशेष रूप ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर आ गए हैं।

कुछ मुसलमानों को यह कहते हुए भी सुना गया है कि ममता बनर्जी मुस्लिम का वेश धरकर मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में आईं।

अल्पसंख्यकों के कुछ नेता वास्तव में भाजपा के बैनर तले एकत्रित भी हुए हैं और कुछ धार्मिक नेता यह बोल रहे हैं कि ममता वोट बैंक राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल कर रही है।

ज़मीनी वास्तविकता में जो बदलाव आया है वह हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली के भाजपा खेमे में आने से प्रतीत होता है। गांगुली ने राज्य की जनता में एक संवेदना जागृत कर दी है। वह राज्य में उद्योगों की स्थापना, शैक्षणिक सुधार, नौकरियों के अधिक अवसर और सार्वजनिक धन के पारदर्शी उपयोग आदि पर खुलकर बोल रहे हैं।

वह जवाबदेही और भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर सर्वाधिक मुखर रहे हैं। जस्टिस गांगुली ने शब्दों में कोताही बरते बिना तृणमूल को अपराधियों और चोरों की पार्टी बताया है। लगता है कि इससे भाजपा के प्रति व्यापक सहानुभूति पैदा हुई है।

'के.सी.आर. ने बेटी की आज़ादी का सौदा किया'

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 अप्रेल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रैवन्त रैड्डी की माने तो क्षेत्रीय पार्टी बी.आर.एस. एवं उसके प्रमुख के.

- **तेलंगाना के मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी की मानें तो पूर्व मु.मंत्री के. चन्द्रशेखर राव ने भाजपा से सौदा किया है कि, उनकी बेटी, जो दिल्ली शराब नीति कांड में जेल में है, की रिहाई के बदले वे भाजपा को तेलंगाना से 5 सीटों पर जीत दिलवाएंगे।**

चन्द्रशेखर राव ने भाजपा के साथ एक सौदेबाजी की है। उसके अन्तर्गत वह